भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 363**

<u>दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

मसाला उत्पादकों के लिये विशेष पैकेज

*363. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मसाला उत्पादकों विशेषकर इलायची, काली मिर्च इत्यादि के उत्पादकों के लिये किसी विशेष पैकेज देने की योजना है, क्योंकि केरल में बाढ से मसाला उत्पादकों की फसल को बुरी तरह क्षति हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि बाढ आने के उपरांत कितनी क्षति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि फसल के ऐसे नुकसान से उत्पादकों के समक्ष गहन समस्याएं आई हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में पुनः सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

" मसाला उत्पादकों के लिए विशेष पैकेज " के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 363 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड.) केरल राज्य में आकलन किए गए मसाला उत्पादकों की फसल/पौधों की हानि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

फ़सल	प्रभावित क्षेत्र (हे.)	उत्पादन 2018-19 का अनुमानित नुकसान (एमटी)
इलायची (छोटी)	17707.12	8459.37
काली मिर्च	26,614	10700
जायफल	4403	2749
लौंग	181	13
अदरक	1030	4100
हल्दी	396	976
कुल	50331.12	26997.37

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास महानिदेशालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय , मसाला बोर्ड (छोटी इलायची के लिए)

केरल के प्रभावित उत्पादकों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है : -

(i) सरकार ने वर्ष 2018 -19 और 2019-20 की चल रही मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) अवधि के दौरान 17.07 करोड़ रूपए के आबंटन के साथ केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छोटी इलायची के लिए पुनरोर्पण और गुणवत्ता पौधों के उत्पादन करने हेतु मसाला बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमादेन दिया है ।

(ii) वर्ष 2018 में बाढ़/भूस्खलन के कारण से केरल सरकार से प्राप्त ज्ञापन के उत्तर में, स्थल पर स्थिति के आकलन के लिए राज्य में अंतर मंत्रालयी दलों की नियुक्ति की गई थी । दल की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 94,699 हेक्टेअर क्षेत्र में कृषि/बागवानी फसल 33 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई थी । राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से निधियों को जारी करने की प्रक्रिया के अनुपालन में, क्षतिग्रस्त कृषि/बागवानी फसलों के लिए 2 हेक्टेअर भूमि तक के प्रभावित कृषकों को 121.94 करोड़ रूपए की राशि अनुमोदित की गई है ।

(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, बाढ के आपदाग्रस्त प्रभाव को कम करने के लिए वर्ष 2018 -19 में भारत सरकार के हिस्से के रूप में 56.03 करोड़ रूपए के साथ 93.39 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है ।

*****